

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

मांक : राजस्व/25/94


दिनांक :- 25/2/2026

आदेश

प्रार्थी राजप्रीत सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, प्रेमसिंह पुत्र अजमेर सिंह, गुरलाल सिंह व प्रेम सिंह, सुखवीर सिंह पुत्र जगजीत सिंह, प्रीतपाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह, नवदीप सिंह पुत्र निर्मल सिंह ना.ज.कु.वली माता जसविन्द्र कौर पत्नी निर्मल सिंह जाति जटसिख किन सन्तपुरा तहसील संगरिया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक ए-2/डी/खा-रा/बा-नह/भू.अ./425 दिनांक 29.01.2026 द्वारा चक 01 एसडी के खाता संख्या 176/4 122/3, 124/3, 115/3, 58/3, 221/61 दर्ज मस्त भूमि सिंचित के रूप में काश्त करना एवं राजस्व रिकार्ड में बारानी से नहरी दर्ज किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक कनीकी/2025/टी-4/917 दिनांक 18.06.2025 व पत्रांक 2084 दिनांक 13.10.2025 द्वारा चक 1 केएसडी प.न. 167/125 किला न. 3 ता 7 प.न. 167/124 किला न. 14, 17 ता 20, 22 ता 25 मे से रास्ता, खाला, सड़क, नहर एवं गैर मुमकिन इत्यादि की कटौती की जानी बतलाते हुए उक्त रकबा कमाण्ड होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को निर्देश दिये जाते हैं कि भाखडा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं बिक्री नियम 1955 के उपनियम 17(3) के अनुसार अगर कोई अन्तर राशि बकाया हो, तो जमा करवाकर उक्त प्रश्नगत रकबा को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।


(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 25/2/2026

क्रमांक:-सम/95

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशापी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. प्रार्थीगण.....।
4. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
संगरिया